Order sheet [Contd]

case No- B.A-93/2018

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

13-03-18

03:00 P.M to 03:15 P.M. आवेदक दीवान सिंह द्वारा श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता उप०। राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप०।

आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है और न ही किसी अपराध से कोई संबंध सरोकार है। आवेदक पूर्व पेशी पर अत्यधिक बीमार हो गया था, इस कारण श्रीमान् न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था और न ही अपने अभिभाषक को अनुपस्थिति की सूचना दे पाया था। इस कारण श्रीमान् न्यायालय द्वारा प्रार्थी की जमानत जप्त कर दी गई और वारंट जारी कर दिया गया। उक्त वारंट के पालन में पुलिस ने आवेदक को दिनांक 25.02.18 को गिरफ्तार कर लिया है और आवेदक तब से उपजेल गोहद में बंदी है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है।

राज्य की ओर से जमानत आवेदन घोर विरोध किया गया है तथा जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आवेदक दीवान सिंह को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के विवध आपराधिक प्रकरण 7423/2015 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2015 के पालन में जमानत पर रिहा किया गया था। दिनांक 18.10.16 से वह अनुपस्थित हो गया और उसके द्वारा हाजिरी माफी आवेदन पेश नहीं किया गया। उक्त दिनांक को साक्षीगण एम.एल. डोंगर एवं एस.आई. एम.एस. जादौन उपस्थित थे जिन्हें अभियुक्त दीवन सिंह के अनुपस्थित होने से बिना परीक्षण के ही छोड़ा गया था। दिनांक 26.08.17 को उसे फरार घोषित किया गया और उसका स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसके पालन में पुलिस द्वारा दिनांक 25.02.18 को गिरफ्तार किया गया है। अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक लगभग एक वर्ष चार माह से अनुपस्थित रहा है, उसके पश्चात भी उसे स्थाई गिरफ्तारी वारंट के पालन में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, वह स्वयं न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है।

आवेदक के द्वारा बीमार होने का आधार लिया गया है किंतु बीमारी के संबंध में भी कोई भी दस्तावेज या प्रमाण पेश नहीं किया गया है। आवेदक की अनुपस्थिति में साक्षी गुलाब सिंह अ0सा0—02 अजय बघेल अ0सा0—03 की साक्ष्य हुई है, अब उन्हें पुनः तलब करना होगा जिससे कि प्रकरण पुनः लंबित होगा।

अतः मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए प्रकट है कि आवेदक के द्वारा विचारण में सहयोग नहीं किया जा रहा है। इस कारण उसे जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। बतया गया कारण सद्भावी प्रतीत नहीं होने से जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessayry
R	गुलाब सिंह अ०सा०—02 अजय बघेल अ०सा०—03 को जरिए समंस पुनः तलब किया जावे। प्रकरण पूर्ववत् अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 04 एवं 05.04.18 को पेश हो। (मोहम्मद अजहर) विशेष न्यायाधीश डकैती गोहद जिला भिण्ड	
		S)
	ALIMONIA POPERO STATE OF STATE	
	WIND STATES	

Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where
The state of the s	necessayry

A THAT I FREE TO SEE THE SECOND SECON

